

गाँवों के पुनर्वास पर NTCA की योजना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(National Tiger Conservation Authority- NTCA\)](#) ने राज्य वन्यजीव विभागों से आग्रह किया है कि वे [मुख्य बाघ आवासों](#) के भीतर स्थिति गाँवों के स्थानांतरण के लिये एक व्यापक समय-सीमा और कार्य योजना विकसित करें।

NTCA की गाँव पुनर्वास योजना क्या है?

- मुख्य क्षेत्रों के संबंध में:
 - वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 व्यवहार्य बाघ प्रजनन आबादी को समर्थन देने के लिये [अशांत क्षेत्र \(Disturbed Areas\)](#) की आवश्यकता पर जोर देता है।
 - मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ आवास से तात्पर्य बाघ रज़िर्व के भीतर के उन क्षेत्रों से है, जिनमें प्रजनन करने वाली बाघ आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये अछूता रखा जाता है।
 - NTCA का ध्यान भारत के [55 अधिसूचित बाघ अभयारण्यों](#) पर है, जहाँ लगभग 600 गाँव (64,801 परिवार) वर्तमान में [मुख्य बाघ आवासों](#) में रहते हैं।
- सर्वेच्छक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP):
 - सर्वेच्छक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP) के दोहरे उद्देश्य हैं- विकास के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके [स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना](#) और बाघों के लिये अछूता स्थान बनाना, ताकि दोनों ही चीज़ें [सामंजस्य के साथ](#) हो सकें।
 - पुनर्वास सर्वेच्छक होना चाहिये तथा ग्राम सभाओं और संबंधित परिवारों की सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिये एवं [अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिये](#) व उनका नपिटारा किया जाना चाहिये।
 - प्रतिपूर्ति: संबंधित परिवार वित्तीय प्रतिपूर्ति (प्रतिपरिवार 15 लाख रुपए) या [पुनर्वास पैकेज](#) (भूमि, आवास और बुनियादी सुविधाओं सहित) का चयन कर सकते हैं।
 - उक्त योजना से संबंधित मुद्दे: NTCA का पुनर्वास पैकेज [भूमि अर्जन अधिनियम, 2013](#) द्वारा निर्धारित अधिकि मानकों के अनुरूप नहीं है।
 - NTCA में [भूमि अर्जन अधिनियम, 2013](#) की अधिकि अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदायों और वन नवासियों को पुनर्व्यस्थापन (Resettlement) तथा पुनर्वास (Rehabilitation) प्रदान करने के लिये विशेष प्रावधान हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर:

- [प्रोजेक्ट टाइगर](#) भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष **1973** में शुरू किया गया था।
- प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित [टाइगर रज़िर्व](#) बनाकर [बाघों का उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना](#) है।
- केवल नौ [अभयारण्यों](#) से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण पर्यासों में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। वर्ष 2024 तक [55 रज़िर्व](#) के साथ इसका वसितार का दायरा [विभिन्न राज्यों](#) में है जो भारत के [भू क्षेत्र का कुल 2.38%](#) है।
- वर्ष 1972 में पहली [बाघ गणना](#) में अनूठी पग-मार्क वधि के साथ [कैमरा-ट्रैप वधि](#) जैसी अधिकि सटीक तकनीकों का उपयोग किया गया।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
 - ⌚ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
 - ⌚ एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
 - ⌚ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
 - ⌚ IDWH, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⌚ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⌚ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⌚ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- ⌚ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- ⌚ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- ⌚ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⌚ रामसर कन्वेंशन
- ⌚ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⌚ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⌚ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⌚ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⌚ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से नरिणय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)